न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1297–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–2–2008 –पारित व्दारा –अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल – प्रकरण कमांक 22/2006–07 अपील

जयराम पुत्र स्व0 रूपा जाटव
ग्राम गिरवास तहसील कुरवाई
जिला विदिशा मध्यप्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती प्रेमवाई पत्नि स्व.शंकरसिंह
ग्राम गिरवासा तहसील कुरवाई
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री पल्लव त्रिपाठी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित –एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 - 1 - 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 22/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–02–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक रूपा पुत्र नौनीता चमार ग्राम गिरवासा के नाम ग्राम गिरवासा तहसील कुरवाई में भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 1.233 हैक्टर एंव अन्य कुल किता 7 कुल रकबा 2.710 हैक्टर इस प्रकार कुल रकबा 3.943 हैक्टर भूमि थी। मृतक रूपा ने अपने जीवनकाल में भूमि सर्वे नंबर 18/1, 270, 239, 266, 267 कुल रकबा 0.784 हैक्टर अपनी पुत्री अनावेदक प्रदान कर दी थी। मृतक रूपा के दो पत्नियॉ क्रमशः विवाहिता संपतवाई एंव दूसरी पत्नि चतुरोवाई थीं । संपतवाई से उत्पन्न पुत्री प्रेमवाई है एंव दूसरी पत्नि चतुरोवाई से दो पुत्री एंव एक पुत्र है। रूपा की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी 1976 के संशोधन 8 एंव 9 अनुसार चतुरोवाई एंव उसके पुत्र/पुत्रियों ने अपना नामान्तरण करा लिया। इस नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के समक्ष अपील क्रमांक 13/05-06 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30.9.06 से अपील समयवाह्य होना मानकर निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 22/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-02-2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों के संज्ञान एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने उन सभी पक्षकारों को इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहे हैं अतएव निगरानी में पक्षकारों के असंजयोजन का दोष है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया

गया कि अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के प्रकरण में नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है एंव सरल क्रमांक 8,9 पर प्रविष्टि दिनांक 30.5.76 में मृतक रूपा के केवल 2 वारिस अंकित किये गये हैं जयराम एंव महिला चतुरोवाई , पंजी पर विवाहित पत्नि संपतवाई एंव उसकी पुत्री प्रेमवाई का नाम अंकित नहीं है जबकि अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई ने आदेश में मृतक रूपा का वॅशवृक्ष अंकित किया है और उसमें विवाहित पत्नि एंव उसकी पुत्री अनावेदिका का अंकन किया है । इस तथ्य के स्पष्ट होने के वाद तथा नामान्तरण के समय विवाहित पत्नि एंव उसकी पुत्री अनावेदिका को सूचना न देने का तथ्य उजागर होने के उपरांत भी अपील को अवधि वाह्य मानकर निरस्त करना उचित नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने आदेश दिनांक 23-2-2008 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण पुर्नजांच एंव सुनवाई हेतु वापिस करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23-2-08 में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-02-2008 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर